Uttarakhand

Simply Heaven!

उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना

उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना

उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना उत्तराखण्ड के ऐसे स्थायी निवासियों, जो पर्यटन क्षेत्र में 01 करोड़ से 05 करोड़ लागत की सीमान्तर्गत योजना में चिन्हित पर्यटन गतिविधियों में नई पर्यटन इकाई की स्थापना कर रहें हो अथवा विद्यमान पर्यटन इकाई का विस्तार कर रहे हों, के लिए लागू होगी। 01 करोड़ से कम के पूंजी निवेश पर इस योजना का लाभ प्राप्त नही होगा। इकाई का स्वामित्व, एकल स्वामित्व / प्रोपराईटरशिप / पार्टनरशिप (पंजीकृत) / एल0एल0पी0 / प्रा0लि0 अथवा अन्य किसी विधिक संस्था के रुप में पंजीकृत इकाईयों / संस्थाओं / फर्म के रुप में हो सकता है।

वित्तीय प्रोत्साहन हेतु जनपद / क्षेत्र वर्गीकरण

वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु राज्य को निम्नलिखित 03 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है-

श्रेणी	सम्मिलित / आच्छादित क्षेत्र
ए	हरिद्वार, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र देहरादून जिले के ऐसे क्षेत्र जो श्रेणी 'बी' में सम्मिलित नहीं है अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तथा अल्मोड़ा तहसील
बी	अल्मोड़ा जिले का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'ए' में सम्मिलित नहीं है) देहरादून जिले की कालसी, चकराता तथा त्यूनी तहसील, बागेश्वर जिले की गरुड़ तहसील पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार, लेंसडाउन, यमकेश्वर तथा धूमाकोट तहसील टिहरी गढ़वाल जिले की धनोल्टी तथा नरेन्द्रनगर तहसील
सी	उत्तरकाशी, चमोली, चम्पावत, रुद्रप्रयाग तथा पिथौरागढ़ जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र बागेश्वर, पौडी गढवाल तथा टिहरी गढ़वाल जिलों का शेष क्षेत्र (जो श्रेणी 'बी' में सम्मिलित नहीं है)

वित्तीय प्रोत्साहन हेतु अनुमन्य गतिविधियां एवं अवसंरचनाएं

पर्यटन गतिविधियां	वांछित अवसंरचना / सुविधाएँ / विशिष्ट शर्तें
पार्किंग स्थल (केवल पर्यटन स्थलों पर)	• अनिवार्य सुविधाएं - में पक्का पार्किंग स्थल, टिकट वेंडिंग मशीन, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे व पर्याप्त सामान्य जनसुविधाएं (पीने का पानी, शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि)। • अन्य आनुषंगिक सुविधाएं - बूम बैरियर, रात्रि पार्किंग सुविधा हेतु लिए स्ट्रीट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट, चालक विश्राम सुविधा, सूक्ष्म जलपान आदि।
रज्जु मार्ग, रस्सी पर चलने वाले प्रक्रम (Funiculars) आदि (अन्य भूतल परिवहन सेवाएँ)	• उत्तराखंड रोपवे अधिनियम-2014 का पालन करना होगा। रोपवे का प्रयोग सार्वजनिक / पर्यटन प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए
विद्यमान होटल / रिसॉर्ट आदि का विस्तार	• बाथरुम को छोड़कर कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल - 120 वर्ग फुट। • बाथरुम का न्यूनतम क्षेत्रफल - 30 वर्ग फुट।

पर्यटन गतिविधियां	वांछित अवसंरचना / सुविधाएँ / विशिष्ट शर्तें
फ्लोटेल्स / फ्लोटिंग रिसॉर्ट्स	• संबंधित प्राधिकारी से अनुमोदन / स्वीकृति | • जिला / राज्य / केन्द्र सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन । • बाथरूम को छोड़कर कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 120 वर्ग फुट । • बाथरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 30 वर्ग फुट । • सीवेज उपचार संयंत्र । • जल निकाय को कोई नुकसान या गिरावट न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण और शमन प्रथाएं व उचित कचरा प्रबंधन की व्यवस्था ।
हेरिटेज होटल	• हेरिटेज होटल 1950 से पूर्व निर्मित महलों / राजभवनों / किलों / हवेलियों / आवासों / अन्य इमारतों में संचालित होटलों को समाविष्ट करते हैं । • भवन का अग्रभाग, वास्तुकला सुविधाएं और सामान्य निर्माण में क्षेत्र की पारंपरिक जीवनशैली के अनुरूप विशिष्ट गुण और माहौल होना चाहिए । • मौजूदा संरचनाओं में कोई भी विस्तार, सुधार, नवीनीकरण, परिवर्तन पारंपरिक वास्तुशिल्प शैलियों और निर्माण तकनीकों के अनुरूप होना चाहिए, ताकि नया और पुराना सामंजस्यपूर्ण रूप से मिल सके ।
होटल, मोटल	• साफ, स्वच्छ भोजन हेतु संबंधित सुविधाओं के साथ रेस्टोरेंट / डायनिंग हॉल की व्यवस्था | • बाथरूम को छोड़कर कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 120 वर्ग फुट • बाथरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 30 वर्ग फुट
स्पा एवं स्वास्थ्य रिसोर्ट / आरोग्य रिसोर्ट	• साफ, स्वच्छ भोजन हेतु संबंधित सुविधाओं के साथ रेस्टोरेंट / डायनिंग हॉल की व्यवस्था । • बाथरूम को छोड़कर कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 120 वर्ग फुट • बाथरूम का न्यूनतम क्षेत्रफल 30 वर्ग फुट
पर्यटक रिसोर्ट / पर्यटक ग्राम	• पर्यटक ग्राम परियोजना का अर्थ निम्नलिखित में से कोई एक होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: • (क) पर्यटन जो राज्य में ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति, शिल्प, व्यंजन तथा ग्रामीण स्थानों की विरासत को प्रदर्शित करता है • (ख) अधिक समृद्ध पर्यटन अनुभव हेतु पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों के बीच परस्पर संवाद को सक्षम बनाता है
क्रूज-बोट, नौका (यॉट), हाउसबोट तथा बोट क्लब की स्थापना	• विशिष्टताओं को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानदंडों से मेल खाना चाहिए। • संबंधित प्राधिकारियों से सभी अपेक्षित अनुमोदन / अनुमतियाँ प्राप्त हों ।
इको लॉज तथा बाराहमासी कैम्प (आवासीय टैंट)	• राज्य / केन्द्र सरकार के पारिस्थितिक पर्यटन दिशा निर्देशों के अनुवर्ती होनी चाहिए।

पर्यटन गतिविधियां	वांछित अवसंरचना / सुविधाएँ / विशिष्ट शर्तें
राष्ट्रीय और प्रादेशिक/ राजमार्गों पर गैर-ईंधन मार्गीय सुविधाएं जिनमें रेस्टोरेंट तथा पार्किंग की व्यवस्था हो	• पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो • साफ, स्वच्छ भोजन हेतु कैफेटेरिया / फूडप्लाजा / रेस्टोरेंट उपलब्ध हो • पुरुषों और महिलाओं प्रत्येक के लिए कम से कम 2 और दिव्यांगों हेतु एक नि:शुल्क स्वच्छ शौचालय
बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन तथा प्रदर्शनियाँ या सम्मेलन केंद्र	• सम्मलेन सभागार में दृश्य-श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग एवं उच्च-निष्ठा रिकॉर्डिंग उपकरण आदि होने चाहिए, और सुविधाओं को संचालित एवं प्रबंधित करने हेतु कुशल जनशक्ति के साथ स्थल पर पर्याप्त जनसुविधाएं होनी चाहिए ।
पर्यटन या आतिथ्य प्रशिक्षण केन्द्र	• एआईसीटीई / एनसीएचएमसीटी या राज्य के विश्वविद्यालय या किसी विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, योजना के तहत प्रोत्साहन हेतु पात्र हैं।
योग, आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा रिसोर्ट	• साफ, स्वच्छ भोजन हेतु संबंधित सुविधाओं के साथ रेस्टोरेंट / डायनिंग हॉल की व्यवस्था • बाथरुम को छोड़कर कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 120 वर्ग फुट • बाथरुम का न्यूनतम क्षेत्रफल 30 वर्ग फुट
संग्रहालय / वाणिज्यिक कला दीर्घाएँ	• इसे पर्यटन गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए तथा यह सुविधा भ्रमण एवं दर्शन हेतु खुली होनी चाहिए। साथ ही स्थल पर पर्याप्त जनसुविधाएं उपलब्ध हो ।
मनोरंजन पार्क	• न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि क्षेत्रफल • इकाई भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित "मनोरंजन सवारी सुरक्षा हेतु अनुशंसित अभ्यास संहिता" तथा "वाटर पार्कों में सुरक्षा हेतु अनुशंसित अभ्यास संहिता" का अनुपालन करेगी। • पार्किंग, स्वच्छ भोजन हेतु कैफेटेरिया / फूडप्लाजा / रेस्टोरेंट तथा सामान्य जनसुविधाएं (पीने का पानी, शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि) की व्यवस्था हो ।
सांस्कृतिक एतिहासिक धरोहर / विरासत अनुरक्षण मात्र से सम्बंधित कार्य	• विभाग मामले-दर-मामले के आधार पर मूल्यांकन करेगा

योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्रता की सामान्य शर्तें

i. इकाई में 100 प्रतिशत स्वामित्व उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों का होना अनिवार्य होगा ।

ii. इकाई के व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ की तिथि से 10 वर्षो तक अनुमन्य प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग नही किया जा सकेगा ।

iii. इकाई को 10 वर्षो तक विक्रय / हस्तान्तरण नही किया जा सकेगा, किन्तु मृत्यु / पागलपन / दिवालिया / प्राकृतिक आपदा आदि जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला स्तरीय पर्यटन समिति द्वारा अभिलेखों के परीक्षणोंपरान्त कारण की पुष्टि होने तथा उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद देहरादून की संस्तुति पर प्रमुख सचिव / सचिव पर्यटन की

पूर्वानुमति से विक्रय / हस्तान्तरण केवल उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के पक्ष में किया जा सकेगा।

iv. किसी इकाई के स्वामित्व या अंशधारिता में परिवर्तन से पूर्व, इकाई द्वारा विभाग से इसकी पूर्वानुमति निर्धारित प्रक्रियानुसार प्राप्त करनी आवश्यक होगी, ताकि इकाई के स्वामित्व या प्रबन्धन में परिवर्तन होने की दशा में विद्यमान इकाई को मिल रहे प्रोत्साहनों का लाभ शेष अनुमन्य अवधि तक मिलता रहे।

v. इकाई के व्यावसायिक संचालन की तिथि से 10 वर्षो के पश्चात इकाई के स्वामित्व में परिवर्तन की दशा में नया स्वामी / अंशधारक उत्तराखण्ड़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा।

vi. इकाई / अंशधारक किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो।

vii. यदि इकाई की स्थापना हेतु भूमि की आवश्यकता हो, वांछित भूमि आवेदक/ अंशधारक / इकाई के नाम पर होनी आवश्यक होगी, अथवा यदि इकाई पट्टे की भूमि पर निर्मित की जानी हो, तो 10 वर्ष से अधिक की पट्टा अवधि अवशेष होनी अनिवार्य होगी।

viii. नई इकाई की स्थापना अथवा विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण से पूर्व उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित) के तहत सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से कैफ (CAF) की सैद्धान्तिक स्वीकृति (In Principle Approval) प्राप्त करना, इस योजना के अन्तर्गत उल्लेखित अनुदान हेतु आवश्यक होगी।

ix. उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित) के तहत सिंगल विन्डो पोर्टल के माध्यम से योजना के लागू होने की तिथि के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृत कैफ (Approved CAF) इकाई इस योजना के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान / प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी, तथा स्वीकृत कैफ (Approved CAF) की तिथि के बाद इकाई पर हुए व्यय घटकों को ही पात्र पूंजी निवेश की गणना में शामिल किया जाएगा।

x. योजना अवधि में आवेदित एवं सैद्धान्तिक स्वीकृत कैफ (In Principle Approved CAF) इकाई ही इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित अनुदान / वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

xi. इकाई को कैफ अनुमोदन की तिथि से अधिकतम 03 वर्ष (तीन वर्ष) की समयावधि के भीतर निर्माण व संचालन सम्बन्धी सभी अनापत्तियां/स्वीकृतियां प्राप्ति के साथ कार्य पूर्ण कर इकाई का व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।

xii. योजना अन्तर्गत स्थापित / निर्मित की जाने वाली नवीन इकाईयों को समस्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमन्य होगा।

xiii. योजना अंतर्गत विद्यमान इकाईयों के विस्तारीकरण किए जाने की दशा में 'पूंजीगत अनुदान' तथा ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति का लाभ अनुमन्य होगा, ऐसी इकाईयों को स्टॉप शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होंगे।

xiv. सार्वजनिक क्षेत्र / पी0पी0पी0 (Public Private Partnership) क्षेत्र के उद्यम/ इकाई इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन हेतु पात्र नहीं होगी।

xv. पर्यटन इकाई की स्थापना हेतु भवन मानचित्र तथा ले-आउट प्लान पर सम्बन्धित विभाग/प्राधिकरण / सक्षम स्तर से स्वीकृति (यदि लागू हो) प्राप्त हो।

xvi. इकाई संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद में उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय पंजीकरण नियमावली अथवा सम्बद्ध विभाग/संस्था में पंजीकृत की गई हो।

xvii. इकाई के संचालन हेतु वांछित सभी अनिवार्य लाइसेंस/ अनुमति / अनुज्ञा, सक्षम स्तर से प्राप्त किये गये हों। xviii. इकाई में राज्य के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थायी रोजगार सतत् रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

xix. योजना अंतर्गत प्राविधानित समस्त अनुदान / प्रतिपूर्ति, व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ करने के पश्चात, इकाई द्वारा निर्धारित पोर्टल पर निर्धारित समय में ऑनलाईन दावा प्रस्तुत करने पर देय होगें।

xx. इकाई के निवेश का निर्धारण परियोजना के विकास हेतु पात्र सिविल कार्य (भवन निर्माण), संयंत्र व मशीनरी / उपस्कर के रूप में कुल पात्र पूंजी निवेश के आधार पर किया जायेगा।

xxi. इकाई में पूंजीगत अनुदान हेतु "पात्र पूंजी निवेश" (Eligible Capital Investment) से अभिप्रेत तथा इसमें परिसरीय बुनियादी ढांचा (चाहरदीवारी, आंतरिक सड़कों का निर्माण तथा अन्य मूलभूत संरचनात्मक सुविधाएं), संरचना तथा भवन, संयंत्र, स्वदेशी और आयातित मशीने तथा उपकरण, सामग्री वाहक उपकरण, यांत्रिक, विद्युत तथा नलसाजी संस्थापन, फिक्सर, फर्नीचर तथा फिटिंग, अपशिष्ट प्रबन्धन सहित अन्य सुविधाएं, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, आबद्ध ऊर्जा संयंत्र आदि तथा परिसर में प्रयोग के लिए स्थापित अन्य सहयोगी सुविधाएं एवं तत्सम्बन्धी स्थापना शुल्क सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण-

(1) समस्त पूंजीगत सम्पतियों के लिए भुगतान कर लिया गया हो तथा परियोजना का स्वामित्व धारित हो। सभी पूंजीगत सम्पति परियोजना स्थल पर ही स्थापित तथा प्रयुक्त की जायेगी।

(2) विस्तारीकरण परियोजनाओं हेतु पात्र पूंजी निवेश की गणना उपरोक्त उल्लिखित रीति / नियम के अनुरूप मात्र विस्तारित कों/कार्यों हेतु की जायेगी।

xxii. इकाई में पूंजीगत अनुदान निर्धारण के लिये अनर्ह (Non eligible Investment) पूंजी निवेश-

a. भूमि कय में पूंजी निवेश।

b. इकाई के पूर्व संचालन व्यय (Pre Operating Expenditure)।

c. कैफ अनुमोदन से पूर्व इकाई पर किया गया व्यय।

d. पूंजीकृत ब्याज (Capitalized Interest) धनराशि।

e. कार्यशील पूंजी (Working Capital) / कैश क्रेडिट लिमिट।

f. परामर्श शुल्क, डिजाईन तथा ड्राईंग्स पर व्यय।

g. अनुज्ञा (License), अनुमति, रायल्टी आदि पर व्यय।

h. भूमि, भूमि समतलीकरण, भूमि विकास पर व्यय।

i. बौद्धिक सम्पदा अधिकार, सॉफ्टवेयर, गुडविल, अमूर्त परिसम्पत्ति पर व्यय।

स्पष्टीकरण-

(1) पूंजीगत अनुदान की गणना हेतु उपरोक्त अर्ह (Eligible) एवं अनर्ह (Non eligible) पूंजी निवेश सूची से इतर किसी भी घटक / कार्य के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

स्टॉम्प शुल्क प्रतिपूर्ति

नई पात्र पर्यटन इकाईयां निम्नलिखित पर लागू 100 प्रतिशत प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क (Stamp Duty) पर प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी:-

i. पर्यटन परियोजना हेतु भूमि / निर्मित क्षेत्र के कय / पट्टा से संबंधित विक्रय / पट्टा विलेख पर, बशर्ते कि विक्रय पट्टा / विलेख इस योजना की अवधि के दौरान किया गया हो।

ii. योजना की अवधि के दौरान परियोजना प्रारम्भ करने के लिए किये गये ऋण अनुबन्धों पर।

iii. योजना की अवधि के दौरान परियोजना प्रारम्भ करने के लिए किये गये बंधक और गिरवी पर।

पात्रता शर्तें

i. यह अनुदान चिन्हित पर्यटन गतिविधियों में पात्रता की श्रेणी में आने वाले मात्र नयी इकाईयों की स्थापना पर देय होगें।

ii. इस अनुदान के अन्तर्गत प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क (पंजीकरण व अन्य शुल्क को छोडकर) की प्रतिपूर्ति देय होगी।

iii. परियोजना से सम्बद्ध भूमि पर ही प्रभार्य स्टॉम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति देय होगी, जिस हेतु इकाई को इस आशय का शपथ पत्र उपलब्ध कराना होगा कि कय / लीज / पट्टे पर ली गई भूमि परियोजना हेतु वांछित न्यूनतम है, एवं उक्त भूमि 10 वर्षो तक पर्यटन प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु प्रयुक्त नही की जाएगी।

iv. स्टॉम्प शुल्क प्रतिपूर्ति का दावा इकाई द्वारा व्यावसायिक संचालन के उपरान्त छः माह (180 दिन) के भीतर पूंजीगत अनुदान दावा के प्रथम आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v. स्टॉम्प शुल्क (Stamp Duty) पर प्रतिपूर्ति पर्यटन इकाई के व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ (COD) करने के उपरान्त् एकमुश्त दिया जाएगा।

पूंजीगत अनुदान

श्रेणी	01 से 05 करोड़ तक के अनुमन्य पूंजी निवेश करने वाले पात्र पर्यटन इकाईयों हेतु अनुदान की धनराशि
ए	रू. 33 लाख + रू.01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त अनुमन्य पूंजी निवेश का @ 15 प्रतिशत (कुल अधिकतम रू.80 लाख)
बी	रू. 33 लाख + रू.01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त अनुमन्य पूंजी निवेश का @ 25 प्रतिशत (कुल अधिकतम रू. 1.20 करोड़)
सी	रू. 33 लाख + रू.01 करोड़ से ऊपर के अतिरिक्त अनुमन्य पूंजी निवेश का @ 30 प्रतिशत (कुल अधिकतम रू. 1.50 करोड़)

i. पूंजीगत अनुदान सहायता का लाभ नये अथवा विस्तारीकरण वाले विद्यमान इकाईयों को देय होगा।

ii. पूंजीगत अनुदान योजना में वर्णित कार्यों/ घटकों हेतु देय होगा।

iii. पूंजीगत अनुदान दावा व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ (COD) करने की तिथि से छः माह (180 दिन) के भीतर निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

iv. पूंजीगत अनुदान की गणना के लिये, इस दिशानिर्देश में उल्लिखित पात्र पूंजी निवेश" (Eligible Capital Investment) में हुये मात्र उस व्यय को आगणन में लिया जायेगा, जिसके लिये जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत विक्रेता द्वारा बीजक जारी किया गया हो और उसका भुगतान इकाई द्वारा बैंक के माध्यम से किया गया हो। अपंजीकृत जी0एस0टी0 विक्रेता द्वारा जारी बीजक अथवा कैश भुगतान वाले बीजक को पात्र पूंजी निवेश के आंगणन में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण- पूंजीगत अनुदान की गणना में सी.ए. प्रमाण पत्र, चार्टर्ड सिविल अभियन्ता / पंजीकृत आर्किटैक्ट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र एवं "पात्र पूंजी निवेश" (Eligible Capital Investment) से सम्बंधित बीजकों को संज्ञान में लिया जायेगा। उक्त अभिलेखों में पात्र पूंजी निवेश की धनराशि में भिन्नता पाये जाने पर उस न्यूनतम अनुमन्य पूंजी निवेश के आधार पर अनुदान का आंगणन किया जायेगा, जिसके विक्रेता द्वारा जारी बीजक एवं बैंक भुगतान के प्रमाण उपलब्ध हों।

v. पूंजीगत अनुदान की गणना के लिये सिंगल विन्डो पोर्टल पर कैफ (CAF) अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि के उपरान्त तथा इकाई के व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि तक के व्यय घटकों को ही पात्र पूंजी निवेश की गणना में शामिल किया जाएगा।

ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति

श्रेणी	ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति मात्रा / सीमा
ए	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 4 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
बी	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 5 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)
सी	3 प्रतिशत (अधिकतम रू0 6 लाख प्रतिवर्ष, प्रति इकाई)

i. ब्याज सहायता, चिन्हित पर्यटन गतिविधियों में अनुमन्य पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से इस योजना अवधि के दौरान लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर देय होगी।

ii. भूमि अथवा भूमि विकास पर व्यय हेतु बैंक से लिये गये सावधि ऋण पर यह प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

iii. कार्यशील पूंजी तथा कैश क्रेडिट लिमिट पर ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

iv. किसी अन्य योजना से अनुदानित ब्याज दर पर सावधि ऋण प्राप्त करने वाली इकाईयों को इस योजना के अन्तर्गत ब्याज

सहायता प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

v. इस योजना अंतर्गत ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति का लाभ प्राप्त इकाई द्वारा सावधि ऋण का हस्तांतरण उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून की पूर्वानुमति से किसी अन्य बैंक में किया जा सकेगा, परन्तु इस स्थिति में ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति का लाभ हस्तांतरण के समय अवशेष ऋण के सापेक्ष ही देय होगा।

vi. ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति की गणना के लिये बैंक द्वारा सम्बंधित अवधि के लिये लागू किये गये ब्याज दर को आंगणन में लिया जायेगा।

vii. बैंक द्वारा सावधि ऋण के सापेक्ष इकाई पर आरोपित दण्ड ब्याज अथवा अन्य किसी शुल्क पर प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

viii. ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, इकाई के व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ (COD) करने की तिथि से अधिकतम 3 वर्ष अथवा ऋण की अदायगी, मे से जो भी पहले घटित हो, तक के लिये देय होगी।

ix. ब्याज सहायता प्रतिपूर्ति का दावा इकाई के व्यावसायिक संचालन की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर वार्षिक आधार पर किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- "पात्र पूंजी निवेश" (Eligible Capital Investment), सावधि ऋण से न्यून आंकलन होने की स्थिति में, आंकलित पात्र पूंजी निवेश के समतुल्य सावधि ऋण की धनराशि पर आनुपातिक आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया एवं अनिवार्य अभिलेख

आवेदन प्रक्रिया - इस योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों के लिये आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत होगी-

I. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों के लाभ के लिये इकाई को सिंगल विन्डो पोर्टल (https://investuttarakhand.uk.gov.in) में उपलब्ध कैफ (CAF) पर आवेदन करते हुये इस पर सैद्धान्तिक अनुमोदन (In Principle Approval) प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

ii. कैफ (CAF) पर सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त करने वाले पात्र इकाईयों / उद्यमों द्वारा निर्धारित समयावधि में इकाई की स्थापना करने व व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ करने के उपरान्त निर्धारित समयावधि में सिंगल विन्डो पोर्टल पर "अनुदान टैब" (Incentive Tab) में उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना - 2024 को चयन कर अनुदान आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

iii. अनुदान आवेदन पत्र दो भाग में होगा। आवेदन पत्र का प्रथम भाग सभी प्रकार के वित्तीय अनुदान/प्रोत्साहन के लिये अनिवार्य होगा और इसे इकाई द्वारा अनुदान दावा हेतु आवेदन करते समय प्रारम्भ में समस्त अभिलेखों सहित मात्र एक बार पूर्ण रूप से भरना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का द्वितीय भाग प्रत्येक वित्तीय प्रोत्साहन के लिये पृथक-पृथक होगा और इसे इकाई द्वारा पात्रता के अनुसार सम्बंधित अभिलेखों सहित आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्रत्येक दावे हेतु भरा जा सकेगा।

iv. पूंजीगत अनुदान की प्रथम एवं अन्य अनुवर्ती / आगामी किस्तों के दावे वार्षिक आधार पर इकाई द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों सहित निर्धारित पोर्टल पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

अनिवार्य अभिलेख - योजना अंतर्गत प्राविधानित वित्तीय अनुदान / प्रोत्साहन के लिये निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियां पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा-

i. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) |

ii. उत्तराखण्ड का मूल / स्थाई निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र । पार्टनरशिप(पंजीकृत)/कम्पनी/साझेदार/एल.एल.पी. स्वामित्व वाली इकाई की स्थिति में इकाई के समस्त अंशधारकों की सूची व सभी अंशधारक के मूल / स्थाई निवास सम्बन्धित प्रमाण पत्र ।

iii. सिंगल विण्डों के माध्यम से In Principle Approval / Approved CAF

iv. भूमि एवं भू-स्वामित्व से सम्बंधित यथालागू प्रपत्र (यथा- खसरा, खतौनी, भूमि रजिस्ट्री प्रपत्र, लीज डीड, भू-उपयोग परिवर्तन प्रमाण-पत्र, भू-क्रय अनुमति आदि) ।

v. सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत भवन मानचित्र तथा ले-आउट प्लान (यथा स्थिति जो लागू हो) ।

vi. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र |

vii. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इकाई संचालन हेतु जारी सहमति पत्र (यथा स्थिति जो लागू हो) ।

viii. अग्निशमन विभाग द्वारा इकाई संचालन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यथा स्थिति जो लागू हो) ।

ix. पर्यटन इकाई का उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवस्था पंजीकरण नियमावली अथवा अन्य सम्बद्ध विभाग / संस्था (यथा स्थिति जो लागू हो) में पंजीकरण प्रमाण पत्र ।

x. इकाई के स्वामित्व से सम्बंधित प्रपत्र (सोसाइटी / कम्पनी/ एल.एल.पी. / साझेदारी फर्म / ट्रस्ट आदि का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, एकल स्वामित्व की स्थिति में स्वहस्ताक्षरित बायोडाटा) ।

xi. आवेदक प्रोपराइटर / निदेशक / साझेदार / अध्यक्ष / अधिकृत हस्ताक्षरी का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड ।

xii. इस आशय का शपथ पत्र कि इकाई द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्य एवं अभिलेख सही हैं, व्यावसायिक संचालन के लिये अनिवार्य सभी अनापत्ति/अनुमति / अनुज्ञां इकाई द्वारा प्राप्त कर ली गई है तथा इकाई में प्रदेश के स्थायी निवासियों को न्यूनतम 70 प्रतिशत स्थायी रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

xiii. सिविल निर्माण कार्य तथा संयंत्र व मशीनरी में पात्र पूंजी निवेश से सम्बंधित सारांश पत्रक (Summary Sheet), सभी बीजक तथा भुगतान प्रमाण-पत्र (Bank Statement) |

xiv. इकाई के सावधि ऋण खाता एवं अन्य बैंक खाता के विवरण हेतु बैंक पासबुक अथवा निरस्त चैक की छायाप्रति ।

xv. इकाई का फोटोग्राफ तथा गूगल मैप लिंक ।

क्र.सं.	वित्तीय प्रोत्साहन	अनिवार्य अभिलेख
1.	स्टॉम्प प्रतिपूर्ति शुल्क	i. पब्लिक डाटा एंट्री (PDE) प्रपत्र की स्व-प्रमाणित प्रति । ii. स्टॉम्प शुल्क आंगणन की स्व- हस्ताक्षरित प्रति । iii. भूमि न्यूनतम व अन्य किसी प्रयोजन हेतु उपयोग न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र ।
2.	पूंजीगत अनुदान	• चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी0ए0) द्वारा प्रमाणित भवन निर्माण, संयंत्र व मशीनरी / उपकरण का वस्तुवार एवं मूल्यवार विवरण व सारांश पत्रक (Summary Sheet) जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि इनके क्रय से सम्बंधित सभी बिल एवं वाउचर्स की जांच कर लिया गया है एवं अंकित किया जा रहा समस्त विवरण नियमानुसार सही है। • चार्टर्ड सिविल अभियन्ता / पंजीकृत आर्किटैक्ट द्वारा इकाई के पक्ष में जारी प्रमाण-पत्र, जिसमें इकाई में पूंजीगत अनुदान हेतु पात्र सिविल कार्य में अनुमन्य पूंजी निवेश का विवरण दिया गया हो। • विस्तारीकरण से सम्बन्धित इकाईयों द्वारा विस्तारीकरण के उपरान्त प्रथम तिमाही तथा विगत वर्ष के समान अवधि के जी0एस0टी0 रिटर्न की प्रति ।
3.	पूंजीगत अनुदान की द्वितीय किस्त हेतु	• विगत 06 माह के विद्युत बीजक की स्वप्रमाणित प्रति । • जी0एस0टी0 एवं आई0टी0आर0 रिटर्न की स्वप्रमाणित प्रति ।
4.	ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता	• बैंक द्वारा सावधि ऋण स्वीकृति / वितरण के सम्बंध में जारी पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति । • बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें सावधि ऋण के सापेक्ष आलोच्य अवधि (व्यावसायिक संचालन प्रारम्भ की तिथि से वार्षिक रूप में) आंकलित ब्याज की धनराशि व इकाई द्वारा जमा ब्याज का विवरण अंकित हो । • ब्याज जमा से सम्बंधित बैंक स्टेटमेंट की स्व-प्रमाणित प्रति । • बैंक द्वारा जारी नो डिफाल्ट सर्टिफिकेट की स्व प्रमाणित प्रति ।

Uttarakhand
Simply Heaven!

सम्पर्क सूत्र

जिला पर्यटन विकास अधिकारी, चमोली।
दूरभाष न०- 01372-253185
Email Id- tourismchamoli@gmail.com
Insta - /visitchamoli | Web Site - www.visitchamoli.com